

## अंतिम मील की दूरी

नरेगा वेतन भुगतान में देरी और बाधाएं

LibTech India | नवंबर 2020

ज्याँ ट्रेज़ द्वारा अग्रेषित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का मकसद ग्रामीण भारत में दैनिक मजदूरी करने के इच्छुक परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पहल के तहत भारत सरकार (GoI) द्वारा श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे मजदूरी हस्तांतरित की जाती है। समय पर भुगतान नहीं मिलना श्रमिकों के लिए एक गंभीर समस्या रही है। भारत सरकार ने डीबीटी की तकनीकी ढांचा पर अधिक ध्यान दिया। इसकी तुलना में, मजदूरी को बैंक/डाक खाते में जमा कर दिए जाने के बाद श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का व्यवस्थित मूल्यांकन पर कम ध्यान दिया गया है। मजदूरी के भुगतान के बाद श्रमिकों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे 'अंतिम मील की चुनौतियों' के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह अंतिम मील की चुनौतियों का आकलन करने के लिए लिबटेक इंडिया ने सितंबर और नवंबर 2018 के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान राज्यों के 1947 नरेगा कार्यकर्ताओं का सर्वेक्षण किया। लिबटेक इंडिया सामाजिक वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों का एक समूह है जो की भारत के कई राज्यों में नरेगा के विभिन्न पहलुओं पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह सर्वेक्षण की कार्य प्रक्रिया लिबटेक इंडिया के सदस्यों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली से संबंधित कई दशकों के अनुभवों एवं सिख पर आधारित है। अतः हम अंतिम मील की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक शोध रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जिसका शीर्षक है - "लेंथ ऑफ लास्ट मील : नरेगा भुगतान में विलंब और बाधाएं"। यह शोध बेंगलुरु के अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के द्वारा अनुदान पर आधारित है।

यह सर्वेक्षण मजदूरों के विभिन्न भुगतान एजेंसियों जैसे की बैंक, ग्राहक सेवा स्थल (CSP), बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स (BC), डाक घर और एटीएम के उपयोग करने के अनुभवों को समझने का एक प्रयास है। मुख्यतः हमने श्रमिकों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित पहलुओं की जांच की है: (क) बैंकिंग मानदंडों के बारे में जागरूकता (ख) सूचना तक पहुंच (ग) मजदूरी मिलने में कठिनाई की प्रकृति, जिसमें कठिनाइयों के उदाहरणों निम्नलिखित है - समय पर भुगतान नहीं मिलना, पैसे निकालने के लिए बार-बार जाना, पासबुक अपडेट करने की सुविधाओं की कमी, आधार संबंधित मुद्दे आदि (घ) पारदर्शिता और जवाबदेही (ङ) रिजेक्ट पेमेंट /अस्वीकृत भुगतान (च) शिकायत निवारण।

हालांकि सर्वेक्षण परिणाम ब्लॉक स्तर के संकेतक हैं, परंतु अनुभव बताता है कि हमारे अवलोकन और सांख्यिकीय अनुमान संबंधित चुने हुए पूर्ण राज्य के संकेतक होने की संभावना है। हमने कठिनाइयों के कई आयामों को संयोजित किया और उत्तरदाताओं का कठिनाई स्कोर बनाया। यह स्कोर से विभिन्न राज्यों में श्रमिकों के अनुभव की तुलना के सूचकांक के रूप में काम किया। चाहे कोई भी भुगतान एजेंसी हो, हमने पाया कि आंध्र प्रदेश में श्रमिकों ने कम कठिनाइयों का अनुभव किया जबकि झारखंड में श्रमिकों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। पोस्ट ऑफिस उपयोगकर्ता (केवल आंध्र प्रदेश में उपयोग किया जाता है) सेवाओं की गुणवत्ता से सबसे अधिक संतुष्ट दिखे। आमतौर पर ग्रामीण बैंकों में बहुत भीड़ होती है। साथ ही पंचायतों से बैंकों की दूरी बहुत ज्यादा है, परिणामस्वरूप श्रमिकों को अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए बार-बार जाना पड़ता है। झारखंड में 42 प्रतिशत और राजस्थान में 38 प्रतिशत लोगों को बैंकों से मजदूरी प्राप्त करने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2 प्रतिशत लोगों को यह समय लगा। कुल मिलाकर अनुमानित 45 प्रतिशत लोगों को आखिरी लेनदेन होने तक बैंक में कई बार जाना की जरूरत पड़ती है।

CSP/BC की निकटता के कारण बैंक में लेन-देन का एक सक्रिय विकल्प हो सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक विफलताओं के कारण, अनुमानित 40% मजदूरों को कई बार CSP/BC के चक्कर काटना पड़ा है। साथ ही CSP/BC के द्वारा पासबुक अपडेट करने की सुविधा नहीं है। यह तुलना देखते हुए, आंध्र प्रदेश में डाक खातों उपयोग करने वाले लोगों के पास हर लेनदेन के लिए उनकी पासबुक अपडेट थी। आंध्र प्रदेश में एक बड़े अनुपात में लोगों को CSP/BC द्वारा लेनदेन की रसीदें मिली हैं, जबकि झारखंड और राजस्थान में लोगों को बहुत कम रसीदें मिली हैं। CSP/BC की किसी भी प्रकार जवाबदेही नहीं होने की वजह से यह पाया गया की CSP/BC निशुल्क सुविधायो के लिए लोगों से पैसे ले रहे हैं। यह आकड़ा सबसे अधिक झारखंड में है, यहा 45 प्रतिशत उपयोगकर्ताओ से शुल्क लिया गया। हमारी गुणात्मक अनुसंधान के अनुसार श्रमिकों को बैंकों में एक अधिक मजबूत संस्थान के रूप में विश्वास है।

आधार नंबर के माध्यम से भुगतान और केंद्रीकरण होने के कारण कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी भुगतान कहा अटकी हुई है और भुगतान रिजेक्ट/अस्वीकृत होने पर क्या करना चाहिये इसकी जानकारी न के बराबर है। यह सर्वेक्षण में जिन श्रमिकों के भुगतान रिजेक्ट हो गए

उन पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। रिजेक्ट पेमेंट, जैसा की नरेगा शब्दावली में जाना जाता है, तब होता है जब तकनीकी कारणों से DBT नकद हस्तांतरण विफल हो जाता है। वे बाउंस किए गए चेक की तरह होते हैं जिनका भुगतान करने का प्रयास तो किया गया लेकिन वह सरकारी खजाने में वापस आ गया। जब तक अंतर्निहित समस्याओं को ठीक नहीं किया जाता है तब तक श्रमिकों को ये मजदूरी नहीं मिलती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2020 तक पिछले पांच वर्षों में, लगभग ₹ 4,800 करोड़ रुपये के भुगतान को राष्ट्रीय स्तर पर खारिज कर दिया गया और लगभग ₹ 1,274 करोड़ का मूल्य अभी भी श्रमिकों को भुगतान किया जाना बाकी है।

बैंकिंग मानदंडों और अधिकारों के बारे में जागरूकता कुल मिलाकर कम थी। उदाहरण के लिए – बहुत लोगों को यह पता नहीं था कि क्या वे अन्य बैंक शाखाओं में लेन-देन कर सकते हैं और बैंक खाता जारी रखने के लिए न्यूनतम शेष राशि बनाई रखनी पड़ती है आदि। हालांकि अधिक जागरूकता होने से भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई कम नहीं होती। असुविधाओं के बावजूद भी बैंक उपयोगकर्ता अपनी भुगतान एजेंसी के रूप में बैंक को प्राथमिकता या पसंद करते थे। सबसे ज्यादा अवधारण डाक खाते के उपयोगकर्ताओं (केवल आंध्र प्रदेश में) में थी जो कि डाकघर के खातों का उपयोग जारी रखना पसंद करते थे।

लोगों के आखिरी स्तर तक भुगतान पहुंचने की इस शृंखला में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होना एक मुख्य कारण है। यह व्यवस्था में कठिनाइयों को सामान्यीकृत किया गया है जिससे पूर्ण नजर आता है कि अधिनियम के स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के बावजूद भी श्रमिकों की शिकायत न ही वैध है और नहीं उसकी कोई सुनवाई है। कुल मिलाकर केवल 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी शिकायतों दायर किया जिनमें से लगभग 94 प्रतिशत श्रमिकों ने शिकायत को मौखिक रूप से किया।

लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के दौर में नरेगा का जरूरत और महत्व में कोई दोराय नहीं है। ऐसे में अंतिम स्तर तक भुगतान का प्रभावी वितरण होना महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट अपने स्वयं के वेतन प्राप्त करने में श्रमिकों के परिप्रेक्ष्य का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और अन्य नागरिक समाज के सदस्य सामूहिक रूप से श्रमिकों को उनके वेतन का उपयोग करने के लिए अंतिम मील की चुनौतियों को समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। हमने यह रिपोर्ट में विस्तृत प्रस्ताव एवं सुझाव दिए हैं और श्रमिकों के दृष्टिकोण से “अपने अधिकार जानो” (Know your right, KYR) नामक चेकलिस्ट भी दी है। इन प्रस्ताव और सुझाव का असर अन्य योजनाओं एवं लाभ (जैसे - पी एम किसान, मातृत्व लाभ, स्कॉलरशिपस आदि) जो की DBT ढांचे में आते हैं उन पर भी होगा।

## [पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ें](#)

अनुलग्न - 1) कार्यकारी सारांश      2) डेटा सारांश

### अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

सकीना धोराजीवाला | +91 9833419391 | [sakinahnd@gmail.com](mailto:sakinahnd@gmail.com)

राजेंद्रन नारायणन | +91 9620318492 | [rajendran.narayanan@apu.edu.in](mailto:rajendran.narayanan@apu.edu.in)